>

Title: Need to set up a panel to accord special status to Bihar.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मैं शून्य प्रहर में बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु पर प्रकाश डालना चाहता हूं। दिनांक 4 मई, 2012 को सरकारी पैनल ने बहुत दिनों से चली आ रही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी मांग को खारिज कर दिया है। सरकारी पैनल से इस मांग को खारिज करने से सबसे पिछड़े राज्यों में से एक बिहार के निवासियों गहरा झटका लगा है। उन्हें निराशा मिली है।

महोदय, इसी प्रकार पैनल ने यह भी कहा है कि बिहार में विकास की बहुत भारी कमी है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से भी कम है। बिहार का मानव विकास सूचकांक भी सब से कम है। यह भी इसी सरकारी पैनल ने कहा है। सरकारी पैनल ने बिहार के विशेष दर्जे की मांग को खारिज करते हुए यह भी कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मानक को पूरा नहीं करता है फिर भी बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में एक है। बिहार में विकास की बहुत भारी कमी है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से भी कम है। **...**(व्यवधान)

महोदय, जब सब कुछ इतना है तो इसे विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। **...**(व्यवधान) केन्द्र सरकार नहीं चाहती है बिहार राज्य की तरक्की हो क्योंकि वहां पर विपक्षी सरकार है। **...**(व्यवधान)

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): The Rockfort Express, which was originally operated from Tiruchirappalli to Chennai...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You wanted to give special status.

...(*Interruptions*)

श्री कौशलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, आप ने उन्हें चार मिनट समय दिया है। **...**(व्यवधान) हम लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। नए सदस्य क्या बोलेंगे? **...**(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have to cooperate and keep in mind the time factor also.

...(*Interruptions*)

श्री कौशलेन्द्र कुमार: बिहार सरकार के माननीय नेता श्री नीतिश कुमार ने मांग किया है कि जो पैनल सेट अप किया है, उसके द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।**...**(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: This is your demand. What more do you want?

...(*Interruptions*)

श्री कौशलेन्द्र कुमार: महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि एक नया पैनल केन्द्र सरकार द्वारा यथाशीघ्र गठन किया जाए ताकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। पैनल का फिर से गठन किया जाए।

MR. CHAIRMAN: Shri Bhudeo Choudhary may be allowed to associate with the matter raised by Shri Kaushalendra Kumar.